नम्बर व ...
अहकाम ...
हुक्म की ...
में जारी ...

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

## पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या | तारीख दायर | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 1/107/2021 | 03.12.2019 | 13.04.2022 |

बउनवान

1–अजीत कुमार यादव पुत्र श्री रमेश चन्द उम्र 32 साल,
2–नरेन्द्र कुमार यादव पुत्र रमेश चन्द उम्र 33 साल,
3– कृष्ण कुमार यादव पुत्र श्री रमेश चन्द उम्र 29 साल,
4– रमेश चन्द पुत्र स्व0 मातादीन यादव उम्र 55 साल,
5–विरेन्द्र यादव पुत्र स्व0 मातादीन यादव उम्र 43 साल जातियान अहीर निवासीयान ग्राम कटोरी वाला तिबारा, रायसीस अलवर तहसील व जिला अलवर

–– प्रार्थीगण

बनाम

1–सब्बीर हुसैन पुत्र अब्दूल शकुर उम्र 48 साल,
2– जाकिर हुसैन पुत्र अब्दूल शकुर उम्र 41 साल,
3–तैयब पुत्र अब्दुल शकुर उम्र 35 साल, जातियान फकीर निवासीयान कटोरी वाला तिबारा, रायसीस, अलवर जिला अलवर राज0
4– हारूनी पत्नी अनवर अली,
5–सीवा उर्फ राबिया खातून पुत्री अनवर अली,
6–इरशाद पुत्र अनवर अली,
7–आसिफ पुत्र अनवर अली,
8–अमीना खातून पुत्री हाजी अलादीन,
9–असगर अली पुत्र हाजी अलादीन,
10– अहमद अली पुत्र हाजी अलादीन,
11– खातूनी पनि हुसैन अली,
12–जाफर अली पुत्र हाजी अलादीन,
13–रहमत अली पुत्र हाजी अलादीन,
14– लियाकत अली पुत्र हाजी अलादीन,
15– शौकत अली शौकत अली पुत्र हाजी अलादीन,
16– हामिद अली उर्फ हमीद पुत्र हाजी अलादीन जातियान फकीर निवासीयान हाजी अलादीन का वास, पेट्रोल पम्प के पीछे, कटोरी वाला तिबारा रायसीस, अलवर तहसील व जिला अलवर

––अप्रार्थीगण

राजस्थान काश्तकारी संसोधन
अधिनियम 1955 धारा 251 ए

## : निर्णय :

वकील वादी ने मूल वाद राजस्थान काश्तकारी संसोधन अधिनियम 1955 धारा 251ए, के तहत पेश किया। वाद का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थीगण वाके ग्राम कटोरी वाला तिबारा, रायसीस उप तहसील वहादरपुर तहसील व जिला अलवर मे निवासी है। मिन प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 550 रकवा 0.40 हेक्टेयर, 551 रकबा 0.47 हेक्टेयर, 552 रकबा 0. 33 हेक्टेयर, 553 रकबा 0.26 हेक्टेयर, 587 रकवा 0.13 हेक्टेयर, 588 रकबा 0.08 हेक्टेयर, 589 रकबा 0.35 हेक्टेयर, 601

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

रकबा 0.01 हेक्टेयर वाके ग्राम रायसीस तहसील व जिला अलवर मे स्थित है जिसमे प्रार्थी संख्या 1 ला0 3 प्रत्येक का 1/9 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 4 व 5 प्रत्येक का 6293/46944 हिस्सा है इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 586 रकबा 0.53 हेक्टेयर वाके ग्राम रायसीस तहसील व जिला अलवर मे स्थित है जिसमे प्रार्थी संख्या 1 ला0 3 प्रत्येक का 1/15 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 4 व 5 प्रत्येक का 6293/46944 हिस्सा के रिकार्डड काबिज काश्त खातेदार है मिन प्रार्थीगण की आराजीयात खसरा नम्बरान के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है उक्त आराजी पर प्रार्थीगण काविज रहकर काश्त कर रहे है व एक गैर मुमकिन चाह का निर्माण कर रखा है जिससे उक्त वर्णित आराजीयात की सिचाई की जाती है । यह है कि आराजी खसरा नम्बर 595 रकवा 0.32 हेक्टेयर, खसरा नम्वर 548 रकबा 0.14 हेक्टेयर वाके ग्राम रायसीस उप तहसील बहादरपुर तहसील अलवर मे स्थित है जो अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी खसरा नम्बर 594 पर पक्की दीवार व मकान का निर्माण कर रखा है । यह है कि प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित आराजीयात वाके ग्राम रायसीस मे कृषि यंत्र व पशुधन रखने व ट्रेक्टर हल ले जाने, लाने के लिये अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 595 व 596 के बीच मे से आम रास्ता जो पश्चिम से पूर्व को जाता है जिस रास्ते के लगते हुये खसरा नम्बर 595, 548 के सिरे पूर्व मे से 10 फीट का रास्ता तरफ दक्षिण से उत्तर का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण अपनी आराजी मे आने जाने के लिये अर्से दराज से कर रहे है और मौके पर रास्ता कायम है । जो आम रास्ता आराजी खसरा नम्बर 596 तरफ दक्षिण से उत्तर मे आराजी खसरा नम्बर 595, 548 से होते हुये प्रार्थीगण की आराजी मे आता है जो रास्ता एक मात्र सुगम एवं सुविधाजनक व आम रास्ते से लगते हुये है जो रास्ता नजरी नक्शा में अंकित है जिस रास्ते के अलावा मिन प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी मे आने जाने के लिये कोई अन्य रास्ता नही है । इसलिये इस रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है आराजी खसरा नम्बर 595 रकबा 0.32 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 548 रकबा 0.14 हेक्टेयर वाके ग्राम रायसीस सब तहसील बहादरपुर जिला अलवर मे मेगा हाईवे से आम रास्ता अलादीन का बास, कटोरी वाला तिबारा अलवर से लगते हुये है जिस खसरा नम्बर मे से करीब 10 फीट का रास्ते का उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण कर रहे है और मौके पर रास्ता कायम है जो रास्ता आम रास्ते से से उत्तर की ओर प्रार्थीगण की आराजी मे आता है । आवेदकगण उक्त आराजी से विदमान अर्से दराज से स्थित मार्ग को राजस्व रिकोर्ड मे अभिलिखित कराना चाहते है जिस हेतु नियमानुसार देय प्रतिकर राशि अदा कर स्वयं की आराजी पर आवागमन हेतु रास्ता चाहते है जिस हेतु नियमानुसार प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को प्रतिफल भी अदा करने को तैयार है तथा अप्रार्थीगण द्वारा जो कि मिन प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरा नम्बर में वर्णित आम रास्ता के उपयोग व उपभोग मे रूकावट व मजाहमत पैदा कर रहे है एवं ऐलानिया धमकी दी है कि वो उनके खसरा नम्बसन में से मिन प्रार्थीगण को उनकी आराजी मे जाने नही देगे व रास्ता अवरुद्ध कर देगे व उपयोग व उपभोग मे रूकावट व मजाहमत पैदा करेगे अगर अप्रार्थीगण ने ऐसा कर दिया तो मिन प्रार्थीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी इसलिये अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित आराजीयात वाके ग्राम रायसीस मे कृषि यंत्र व पशुधन रखने व ट्रेक्टर हल ले जाने, लाने के लिये अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 595 व 596 के बीच में से आम रास्ता जो पश्चिम से पूर्व को जाता है जिस रास्ते के लगते हुये खसरा नम्बर 595, 548 के सिरे पूर्व मे से 10 फीट का रास्ता तरफ दक्षिण से उत्तर का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण अपनी आराजी मे आने जाने के लिये अर्से दराज से कर रहे है और मौके पर रास्ता कायम है । जो रास्ता नजरी नक्शा मे अंकित है उक्त मार्ग का प्रार्थीगण के राजस्व रिकोर्ड मे अंकन कराया जावे एवं अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थीगण व परिवारजन को आराजी खसरा नम्बर 595, 548 एवं 596 मे स्थित आम रास्ता के आवागमन कृषि यत्र ट्रेक्टर आदि ले जाने मे व लाने में कोई रूकावट आदि पैदा ना करे व मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किये गयें। उप तहसीलदार बहादरपुर से मौके की रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करते हुए वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए खसरा नम्बर 595 व 596 के बीच में सें आम रास्ता पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, से लगते हुए खसरा नम्बर 595, 548 पूर्व में से दस फीट रास्ता दिये जाने का निवेदन किया।

हमने वकी प्रार्थी बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं उप तहसीलदार बहादरपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। उप तहसीलदार बहादरपुर ने अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित किया है,कि ग्राम रायसीस की हाल जमाबन्दी में आराजी खसरा नम्बर 548 रकबा 0.14 है0 595 रकबा 0.32 है0 सब्बीर हुसैन, जाकीर हुसैन, तैयब हुसैन, पुत्र शकुर जाति फकीर के नाम दर्ज व अन्य खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी अपनी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 550 व अन्य पर आने जाने हेतु रास्ता चाहता है। वादी के लिए आराजी खसरा नम्बर 548 व 595 में से ही रास्ता सुगम व सुविधाजनक होना अंकित किया है। उप तहसीलदार बहादरपुर नें उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता खसरा नम्बर 550 पर नही जाना अंकित किया है।

प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि पर आवगमन हेतु आराजी खसरा नम्बर 548 व 595 वाके ग्राम रायसीस में से तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर लगते हुए रास्ते के सिरे पूर्व में 10 फीट रास्ता का अनुतोष चाहा है। उपतहसीलदार बहादरपुर ने भी अपनी रिर्पोट में उक्त रास्ता दिये जाने की अनुपंशा की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उप तहसीलदार बहादरपुर की रिर्पोट एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन करने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज0काश्त0अधि0 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राज0काश्त0अधि0 इस प्रकार स्वीकार किया जाता है, कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु आराजी खसरा नम्बर 548 व 595 वाके ग्राम रायसीस में से तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर लगते हुए रास्ते के सिरे पूर्व में 10 फीट रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश उप तहसीलदार बहादरपुर को दिये जाते है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी में सें इतनी ही भूमि (10 फीट) अप्रार्थीगण को देंगें। तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें।

( प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

( प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर